न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 43/2014

वादी :-

1. श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) जाति-ब्राह्मण उम्र-53 वर्ष निवासी हाल-मैनेजर श्री सीमेन्ट लि., रास मौजा-रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बिदामी पत्नि अमरा जाति-मेहरात,निवासी-भींवगढ़(रास) तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. प्रकाश दवे पुत्र मदनलाल दवे जाति-ब्राह्मण,निवासी-23 गायत्री नगर नियर वाटर टैंक अजमेर रोड़, ब्यावर, जिला-अजमेर
3. भंवरू पुत्र दाउ फौत के कायम मुकाम :-
   3/1 गोपाल वल्द भंवरू
   3/2 लक्ष्मण वल्द भंवरू
   3/3 पुरण वल्द भंवरू
   3/4 अजीत वल्द भंवरू
   3/5 सीता पुत्री भंवरू
   3/6 माया पुत्री भंवरू
   3/7 अंजु पुत्री भंवरू
   3/8 रेशमा बेवा भंवरू
   जातियान-भांबी,निवासी-भींवगढ़ (रास) तह.-जैतारण, जिला-पाली
4. नूरा पुत्र रीमा
5. भंवरू पुत्र लालू
6. समदु पुत्र लालू नाऔलाद फौत
7. अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया, जाति-रेगर निवासी-अम्बेडकर कॉलोनी, राजमहल के पीछे, ब्यावर जिला-अजमेर (राज0)
8. भंवरीया वल्द कालू फौत के कायम मुकाम :-
   8/1 बगदु पुत्र भंवरीया
   8/2 प्रकाश पुत्र भंवरीया
   8/3 प्रहलाद पुत्र भंवरीया
   8/4 सुगनी पुत्री भंवरीया
   8/5 परमा पुत्री भंवरीया
   8/6 मन्जु पुत्री भंवरीया
   8/7 इन्द्रा पुत्री भंवरीया
   8/8 भंवरी बेवा भंवरीया
9. केसा पुत्र जगरूप फौत के कायम मुकाम :-
   9/1 प्रभु पुत्र केसा
   9/2 भीका पुत्र केसा
   9/3 मैथी बेवा केसा
10. आलिया पुत्र जगरूप

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

11. भीकाराम गोदपुत्र हजारी
जातियान–भांबी,निवासी–भींवगढ़
(रास) तह.–जैतारण, जिला–पाली

12. तहसीलदार, जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.30/03/2015**

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 22/11/2017**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लांट बांगड़ सीमेन्ट के नाम से सरहद मौजा–रास–ाा, तहसील–जैतारण में स्थापित है कार्यरत है व उत्पादनरत हैं। उक्त श्री सीमेन्ट लि0 रास प्रोजेक्ट एक कम्पनी अधिनियम 1956 एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक, प्रशासनिक, कार्यो के लिए बतौर प्रबंन्ध लेण्ड एक्युजेशन श्री अमरीश कुमार शर्मा नियुक्त व कार्यरत है कम्पनी के द्वारा कृषि भूमि के लिए तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान के प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है व वाद पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र वाद–पत्र के साथ पेश हैं, जिसे वाद–पत्र का एक वाद माना जावे। सरहद मौजा–भींवगढ, पटवार हल्का–रास–द्धितीय, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 1893 रकबा 21–03 बीघा किस्म बारानी दोयम वाके हैं। जिसमें वादी कम्पनी का 7/54 हिस्से की भूमि पर रिकोर्डड काबिज खातेदार काष्तकार हैं व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 उक्त भूमि के रिकॉर्डड सहखातेदार काश्तकार है वादी कम्पनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई व हिस्से अनुसार सभी का कब्जा काश्त है। वादी खसरा न0 1893 रकबा 21–03 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में 7/54 हिस्से की भूमि यानी 02–14 बीघा भूमि मौके पर बंटी हुई है व वादी का अपने हिस्से पर रिकॉर्डड काश्तकार के काबिज हैं। मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में सामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेस में भी सम्पूर्ण भूमि एक जौत दर्शायी गयी है। मौखे के कब्जे व काश्त अनुसार तरमीम की हुई नही हैं तथा विवादित आराजी भूमि को वाद में आगे वादगस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा कि सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबंदी खतौनी नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश किया है। जिसे वाद का एक भाग माना जावे। वादी कम्पनी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1893 रकबा 21–03 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में 7/54 हिस्से की भूमि यानी 02–14 बीघा भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादी का अलग से कब्जा व काष्त है वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काष्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स बाउण्डस के तकास्मा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम रखने का तकास्मा करवाने का कहा – मगर प्रतिवादीगण की नियत सही होने बंटवारा करवाने से दिनांक 12/01/2014 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही हैं। वादी कम्पनी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकास्मा कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादी के पेश है। तकास्मा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी को असीम हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है वादी को अपूर्णीय क्षति होगी, प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी को बार बार दीवानी व फौजदारी मुकदमे करने पड़गें, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, इसलिए वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादी के पेश है। प्रतिवादी संख्या 12 तहसीलदार वादग्रस्त भूमि के लैण्ड हॉल्डर हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकास्मा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हे इस वाद में पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। प्रतिवादीगण को वादी कम्पनी व्यक्तिगत रूप से नही जानती हैं। इसलिए प्रतिवादीगण के नाबालिग या फौत होने की दशा में वादी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र के जरिये संशोधन रहेगा। उक्त वाद में देवी पुत्र लालू, भंवरु पुत्र लालू, पन्ना पुत्र लालू, समदू पुत्र लालू प्रतिवादीगण संख्या 11 से 14 नाबालिग कुदरती वली पिता लाला वल्द कला जातियान–सभी मेहरात, निवासीगण–ढाणी भीवगढ (रास), तहसील–जैतारण जिला–पाली राज0 इसलिए नाबालिग के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने बाबत अलग से आदेश 32 नियम 1 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश है। बिनायदावा दिनांक 12/01/2014 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का कहने में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम–भींवगढ में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायात अदालत बाला के है। इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। वाद के समर्थन में वादी ने साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–रास में पेश हुई। बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी का वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, एवं दस्तावेजात मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः वादी स्वयं रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, जिससे माफिक राजस्व रिकॉर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं, लिहाजा प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर पक्षकारानों में वादी के हिस्से का बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा–भींवगढ़, पटवार

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हल्का–रास–द्वितीय, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 1893 रकबा 21–03 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/963 दिनांक 04/08/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्रांक /भू0अ0/17/5330 दिनांक 13/11/2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–भींवगढ़, पटवार हल्का–रास–द्वितीय, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 1893 रकबा 21–03 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) जाति–ब्राह्मण उम्र–53 वर्ष निवासी हाल – मैनेजर श्री सीमेन्ट लि., रास खातेदार।	1893/1	2-14-00	बा0दो0	0.67 रु.
2	प्रकाशदवे पुत्र मदनलाल दवे कौम–ब्राह्मण सा0 गायत्रीनगर ब्यावर, गोपाल लक्ष्मण पूरण अजीत पि0 भंवरू, सीता माया अंजु पुत्रियाँ भंवरू, रेशमा पत्नि भंवरू, उमराव पत्नि लाला, भंवरू देबी गोपाल खीमा पि0 लाला, नूरा वल्द रीमा, भंवरू पुत्र लालू कौम–मेहरात सा0 देह, अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल कौम–रेगर निवासी–अम्बेडकर कॉलोनी ब्यावर जिला–अजमेर, बगदू प्रकाश प्रहलाद पि0 भंवरू, सुगनी परमा मंजू इन्द्रा पुत्रियाँ भंवरू, भंवरी पत्नि भंवरू, प्रभु भीका पि0 केसा, मेथी पत्नि केसा, मोतीलाल सोहनलाल पि0 आलू, भीकाराम गोद हजारी कौम–भांबी सा0 देह खातेदार।	1893	18-09-00	बा0दो0	4.62 रु.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉंक 22/11/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)